



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

सांविधिक संस्थान निफ्ट अधिनियम 2006

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY

A Statutory Institute under the NIFT Act 2006

Ministry of Textiles, Government of India

NIFT-MBI/Building/26/2022

दिनांक: 17/12/2025

भाव पत्रक / Rate Enquiry Letter

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) मुंबई द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित करता है। निफ्ट, बिना कोई कारण बताए निम्नतम या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

Sealed Quotations are hereby invited by NIFT Centre, Mumbai for the following work. The undersigned reserves the right to accept or reject the lowest or all the quotations without assigning any reasons.


कार्य का नाम: निफ्ट परिसर, प्लॉट संख्या-20, सेक्टर-04, खारघर, नवी मुंबई में स्थित शैक्षणिक भवन-I की चौथी मंजिल पर एमएस फ्रेमिंग कार्य प्रदान करने एवं लगाने के कार्य हेतु।

Name of work: Providing & Fixing of MS framing work on the fourth floor of Academic Building-I located at NIFT Campus, Plot No. 20, Sector-04, Kharghar, Navi Mumbai.

क्रं संख्या	कार्य का विवरण	मात्रा	मात्रक	दर (रुपये)	राशि (रुपये)
1	Structural steel work riveted, bolted or welded in built up sections, trusses and framed work, including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer all complete.	400	Kg		
2	Providing and fixing 18 mm thick cement bonded wood particle board (bison panel) for chajja, ceiling, staircase at any floor, providing suitable hole for fixing nuts and bolts including making suitable groove on walls, making vata at joint, P/F sheet in proper slope including double scaffolding wherever required complete as directed.	38	Sq. Mt		
	कुल /Total				
	जी एस टी/ GST @ 18%				
	कुल योग / Net Total				

Seal and signature of the Agency

Date:


Director

डिज़ाइन, मैनेजमेंट और प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ संस्थान
A Premier Institute of Design, Management and Technology
(An ISO 9001: 2015 certified institute)

Page 1 of 5

निफ्ट कैम्पस, प्लॉट नं. 15, सेक्टर 4, खारघर, नवी मुंबई - 410210, महाराष्ट्र
NIFT Campus, Plot No.15, Sector 4, Kharghar, Navi Mumbai - 410210, Maharashtra
☎ + 91 022 27747000 | + 91 022 27747100 | + 91 022 27745386 | e: nift.mumbai@nift.ac.in

www.nift.ac.in



नियम एवं शर्तें / Terms & Conditions:

- 1) मोहरबंद भाव पत्रक जमा करने की अंतिम तिथि **22 दिसम्बर 2025** को अपराहः 3 बजे तक है
Last date of receipt of sealed Quotation is **22/12/2025** upto 3.00 pm.
- 2) बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत कुल राशि के आधार पर सफल एजेंसी का निर्णय लिया जाएगा।
L1 agency will be decided based on the total amount quoted by bidders.
- 3) निफ्ट को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी कोटेशन को आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से बिना कोई कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
NIFT reserves the right to accept or reject any quotation, either in part or in full, without assigning any reason thereof.
- 4) एजेंसी को कार्य करने में कार्य मानक ब्रांड की सामग्री का उपयोग करना होगा या निफ्ट अधिकारी द्वारा स्वीकृत सामग्री का उपयोग करना है।
The work shall be executed with standard brand material or as approved by NIFT official.
- 5) एजेंसी को कार्यादेश प्राप्त होने के उपरांत, उसे आवंटित कार्य मदों के आधार पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न किए जाने की स्थिति में, कार्य में विलंब हेतु ₹250 प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।
Upon receipt of the work order, the agency shall complete the work within the stipulated time frame based on the items of work allocated to it. In case of failure to complete the work within the specified period, a penalty of ₹250 per day shall be imposed for the delay.
- 6) यदि कार्य हेतु एक से अधिक एजेंसियों द्वारा कुल राशी समान उद्धृत की जाती है, तो निर्णय NIFT के सक्षम प्राधिकारी के अनुसार कार्यादेश जारी किया जायेगा इस संदर्भ में किसी भी एजेंसी की आपत्ति या अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
In case the total amount quoted by more than one agency for the work is the same, the decision regarding issuance of work order will be taken by the competent authority of NIFT and no objection or request of any agency will be considered in this regard.

Seal and signature of the Agency

Date:


Director



- 7) कार्य के मूल्य/ दर, उपयोग में आने वाले सामान, किराया, परिश्रम और उपयुक्त कर सहित उद्धृत करने चाहिए, जीएसटी के आलावा अलग से किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
The quoted rates will be inclusive of cost of all material requires, transportation, labour and taxes as applicable, nothing shall be paid extra except GST.
- 8) कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
No advance payment will be made.
- 9) एजेंसी द्वारा किए गए किसी भी घटिया गुणवत्ता वाले कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा और उस पर 3% जुर्माना लगाया जाएगा।
Payment will not be made for any substandard quality work done by agency and 3% of penalty will be levied on it.
- 10) एजेंसी को कार्य, कार्य आदेश प्राप्त से 10 दिनों के अंदर पूरा करना होगा।
The agency has to complete the work within 10 days after receipt of work order.
- 11) एजेंसी को सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखकर कार्य का निष्पादन करना चाहिए और वह अपने कामगारों की सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेवार होगी।
The agency should execute the work keeping safety rules in mind and will be responsible for the safety of its workers.
- 12) कार्य करने समाप्ति पर कार्य की मात्रा भिन्न हो सकती है इसलिए कार्य का भुगतान वास्तविक आधार पर बिल और पैमाइश जमा करने पर किया जाएगा।
Quantity of work may vary at the time of execution; hence payment shall be made on actual basis on submission of bill with measurement sheet.
- 13) कार्य को पूरा करने के लिए यदि किसी अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता हो तो बिना किसी अतिरिक्त लागत के करना होगा, इस प्रयोजन के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
To complete the work if required any additional work same will be carry out without any additional cost, no payment made for this purpose.

Seal and signature of the Agency

Date:


Director



- 14) मापदंड के अनुसार एजेंसी द्वारा किया गए जीएसटी के भुगतान का प्रमाण प्राप्त होने के बाद ही निफ्ट द्वारा एजेंसी को भुगतान जारी किया जाएगा।

The payment will be released by NIFT to the agency only after the submission of proof of payment of GST made by the agency as per the criteria is received.

- 15) कोटेशन प्रस्तुत करने वाली एजेंसी को जीएसटी पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं होने वाली एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत कोटेशन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

The agency submitting the quote must be registered on the GST portal. Quotes submitted by agencies not registered under GST will be rejected.

- 16) कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटी होने पर निफ्ट के अनुसार एजेंसी को कार्य की मरम्मत करनी होगी।

In lieu of any defect, the work shall be repaired by the agency if NIFT desires so.

- 17) कार्य पूरा होने के बाद साइट को साफ किया जाना चाहिए और परिसर से किसी भी बेकार सामग्री/सामान/विघटित सामग्री/न उपयोगी वस्तु को हटा दिया जाना चाहिए और उसे बिना किसी अतिरिक्त लागत/मुफ्त लागत साथ और इस न उपयोगी वस्तु को स्थानीय नगरपालिका मैदान में डंप किया जाना चाहिए।

After completion of the work the site should be cleaned and any waste materials/stuffs/rabbit/muck to be removed from the campus and same should be dump at local municipal ground without additional cost/free of the cost.

- 18) किसी भी विवाद के मामले में न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र नवी मुंबई होगा।

In case of any dispute the Jurisdiction of Court will be Navi Mumbai.

- 19) प्रतिस्पर्धी मूल्य/दरों को कोट करने से पूर्व, कार्य और स्थल के भौतिक मूल्यांकन और पैमाइश के बारे में स्पष्टीकरण के लिए (यदि कोई हो तो), एजेंसी निफ्ट के अधिकारी से कार्यालय समय के दौरान संपर्क कर सकती है।

The Agency must visit the campus and Contact to NIFT's Official for clarifications about physical assessment of area/work to be furnished and about measurement etc. before quoting the competitive rates.

Seal and signature of the Agency

Date:


Director




- जीएसटी मापदंडों के अनुसार लागू होगा / GST will be applicable as per norms.

क्रम संख्या	पंजीकरण का विवरण Details of Registration	पंजीकरण संख्या Registration No.
1.	जी एस टी / GST	
2.	पैन कार्ड / Pan Card	

एजेंसी का नाम और पता:

मैसर्स _____

दूरभाष न. _____


निदेशक
निफ्ट मुंबई

Seal and signature of the Agency

Date:


Director